गड़ावदिया तालाब योजना

तहसील – बाजना **जिला – रतलाम**

परियोजना का विवरण

कार्यपालिक संक्षेपिका-

गड़ावदिया तालाब योजना एक लघु सिंचाई परियोजना है । यह योजना अक्षांश 23^0 – 05’– 15” एवं देशांश 74^0–53’–30” टोपोशीट क्रमांक 46 I/16 पर स्थानीय नाले पर स्थित है । बॉध स्थल रतलाम जिला मुख्यालय से 35 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । बॉध का जलग्रहण क्षेत्र 4.51 वर्ग कि.मी. है । योजना का कुल डूब क्षेत्र 15.08 हेक्टर है । जिसमें 1.90 हेक्टर निजी भूमि एवं 0.41 हेक्टर शासकीय भूमि है। योजना से 12.77 हेक्टर वन भूमि प्रभावित होती है । योजना से 147 हेक्टर क्षेत्र में कृषकों द्वारा नहर एवं पम्प द्वारा उद्वहन सिंचाई प्रस्तावित है ।

शीर्ष कार्य (इकाई – I)

शीर्ष कार्य के अंतर्गत मिट्टी का बॉध बनाया जाना प्रस्तावित है । बॉध की लम्बाई 245 मीटर एवं ऊँचाई 15.25 मीटर रहेगी, बांध की ऊपरी चौड़ाई 5.00 मीटर है एवं स्लोप विभागीय तकनीकी सर्कुलर के अनुसार प्रस्तावित है । बॉध से सिंचाई हेतु एक स्लूस गेट प्रस्तावित है ।

नहर कार्य इकाई – II)

गड़ावदिया बांध से सिंचाई हेतु 3600 मीटर लम्बी नहर निर्माण प्रस्तावित है ।

भू-अर्जन पुर्नवास -

योजना के अंतर्गत शीर्ष काय्र के निर्माण के लिये 15.08 हेक्टर में से प्रभावित क्षेत्र के लिए 1.90 हेक्टर निजी भूमि के अर्जन की आवश्यकता है । प्रस्तावित योजना से डूब क्षेत्र में कोई भी गॉव तथा एवं परिवार विस्थापन से प्रभावित नहीं होगा । प्रस्तावित योजना से 12.77 हेक्टर क्षेत्र में वन भूमि प्रभावित होगी जिसके लिए वन भूमि प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

योजना की अनुमानित लागत -

योजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य की अनुमानित लागत क्रमशः रूपये 513.31 लाख है। इस योजना से कुल 147 हेक्टर भूमि में सिंचाई प्रस्तावित है । तद्ानुसार योजना की लागत प्रति हेक्टर रूपये 3.49 लाख आती है जो शासन के नियमानुसार निहित मापदण्ड के अंतर्गत है ।

बजट प्रावधान/वित्तीय व्यवस्था -

योजना की रूपये 513.31 लाख की प्रशासकीय स्वीकृत पत्र क्रमांक एफ-22/3 /16-17 / ल.सि./31/1267 दिनांक 13.07.2017 द्वारा शासन से प्राप्त हो गई है। वर्तमान में योजना की अद्यतन लागत रूपये 513.31 लाख है । योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है । योजना से सिंचाई सुविधा में 100 प्रतिशत आदिवासी कृषक लाभांवित होंगे । अतः इसे आदिवासी उपयोजना मद में प्रस्तावित किया गया है ।

योजना से लाभ -

यह योजना रतलाम जिले के बाजना विकासखण्ड में प्रस्तावित है । जिसका शासकीय स्त्रोतों से सिंचाई प्रतिशत तहसील में 6.78 है । यह योजना आदिवासी उपयोजना में प्रस्तावित है । प्रस्तावित योजना से सिंचाई द्वारा 150 हेक्टर में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी जो पूर्णतः आदिवासी कृषकों का क्षेत्र है।

विशेष अनुशंसा-

योजना रतलाम शहर से 35 कि.मी. दूरी पर है एवं योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं कार्य आरंभ की प्रत्याशा में वन भूमि प्रकरण व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

(ए.के. भट्ट)	(हरीश कुमावत)	(एच.के. मालवीय)
उपयंत्री	अनुविभागीय अधिकारी	कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन उपसंभाग	जल संसाधन उपसंभाग	जल संसाधन संभाग
सैलाना जिला रतलाम	सैलाना जिला रतलाम	रतलाम